कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उत्तर प्रदेश

परिपत्र संख्या : सी–31/अधि0–11/समायोजन दिनाँक 21 जुलाई, 2015

1– **समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0**

2– **समस्त सचिव/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक लि0।**

विषय : एक सहकारी संस्था (पैक्स) से दूसरी सहकारी संस्था (पैक्स) में अधिकारियों/ कर्मचारियों के समायोजन हेतु दिशा–निर्देश।

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–सी–73 अधि–11 दि0 08.05.2014 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सहकारी समितियों के कर्मचारियों के जनपद स्तरीय समायोजन हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया गया है।

1–सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक

2–सचिव/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी

3–सम्बन्धित अपर जिला सहकारी अधिकारी/ तहसील प्रभारी

समायोजन के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा की गई समीक्षा/ संस्तुति को उप आयुक्त एवं उप निबन्धक/ संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक की संस्तुति के साथ अनुमति प्राप्त करने हेतु मुख्यालय प्रेषित किया जाय। उक्त सीमा तक परिपत्र संख्या–सी–73 दिनांक 08.05.2014 को संशोधित समझा जाय। यह भी प्रतिबन्ध होगा कि किसी भी समिति का आंकिक/ विक्रेता एवं लिपिक को मूल समिति के अतिरिक्त दूसरी समिति में सचिव का प्रभार सौंपने/ प्रभारी सचिव के पद पर तैनाती के लिए भी उप आयुक्त एवं उप निबन्धक/ संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक की संस्तुति के साथ अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जायेगा ताकि समीक्षोपरान्त विशेष परिस्थिति में अनुमति दिये जाने की कार्यवाही की जा सके। अग्रेतर दिसम्बर, 2014 से अब तक समितियों में जिन प्रभारी सचिवों की तैनाती की गई है एवं एक समिति से दूसरी समिति के कर्मचारियों का समायोजन किया गया है, की सूचना विलम्बतम एक माह के अन्दर मुख्यालय को उप आयुक्त एवं उप निबन्धक/ संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(शैलेश कृष्ण)
आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।

परिपत्र संख्या : सी–31/अधि0–11/समायोजन दिनाँक उक्त।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त उप आयुक्त एवं उप निबन्धक/ समस्त संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0।

2– समस्त प्रबन्ध निदेशक, शीर्ष संस्थाएं उ0प्र0।

3– समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0।

4– सचिव/ अध्यक्ष, उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, लखनऊ।

5– प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।